फर्द अहकाम

शारदा देवी **बनाम** देवराज

नाम न्यायालय

केस संख्या 27/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	13.4.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी गत अनेकानेक पेशीयों से अनुपस्थित है। अतः पूर्वादेशानुसार बहस कुरेशाज आपत्ति सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश 24.4.23 को पेश हो। [signature]
		आज दिनांक 24.4.23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10.5.23 को पेश हों। MRC
		आज दिनांक 10.5.23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1.6.23 को पेश हों। MRC
	1.6.23	आज दिनांक 1.6.23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4.7.23 को पेश हों। MRC
	4/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप. प्रकरण में पूर्व में एक तरफा से पूर्व बहस सुनी गई थी आज पुनः वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश निर्णय 13/7/2023 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

शारदा देवी **बनाम** देवराज

नाम न्यायालय

केस संख्या 27/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	13/7/23	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड़, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 27/2019
निर्णय दिनांक : 13.07.2023

शारदा देवी पत्नी मेघचन्द मीणा निवासी 27 सरस्वती नगर, श्रीराम कॉलोनी, गैटोर रोड तहसील सांगानेर, जयपुर।

वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र कल्याण (नाम हजफ)
2. महेन्द्र कुमार पुत्र कल्याण (नाम हजफ)
3. ज्यानकी पत्नी तौफल्या
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पीलवा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. रूपनारायण पुत्र लल्लूराम मीणा निवासी 26 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर
6. रामेश्वर पुत्र देवी लाल मीणा निवासी ग्राम छकरवारा हाउस, गेट नम्बर 3, रजत गृह कॉलोनी बूंदी राजस्थान।
7. शिम्भू दयाल पुत्र सरदार मल निवासी पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 192/859 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.40 हैक्टेयर खसरा नम्बर 473 रकबा 1.13 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.70 हैक्टेयर राजस्व ग्राम पीलवा, पटवार हल्का चंदवाजी, भू– अभिलेख क्षेत्र चंदवाजी तहसील आमेर जयपुर में स्थित हैं, में से खसरा नम्बर 472, 473 का हिस्सा 1/2 जरिये विक्रय पत्र क्रय कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 1/2 का खातेदार काश्तकार हैं, जो प्रस्तुत वाद मे वादग्रस्त हैं। वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 472, 473 के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त आराजीयात में वादीया का 1/2 हिस्सा हैं। शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त आराजीयात को बहामी रजाबंदी से हिस्से अनुसार अलग– अलग काश्त कर एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग एवं उपभोग कर लाभान्वित होते एवं लगान की अदायगी करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की सहखातेदारी की आराजीयात है जिसका आज तक कानूनी रूप से विभाजन नही हुआ हैं। वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये ही विक्रय व हस्तान्तरण कर मनचाहे स्थान पर– अच्छी जमीन कब्जा करने एवं वादीया उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा व तत्पर हैं। जिस क्रम में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 दिनांक 21/07/2019 को कुछ अनजान व्यक्तियों को साथ लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये जो जमीन को विक्रय करने की बाते कर रहे थे। वादीया ने प्रतिवादीगण को कानूनी रूप से [illegible]राकर भूमि विक्रय करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण मे मना कर दिया तथा वादीया को धमकी दी कि वो बिना विभाजन के ही भूमि को विक्रय व हस्तान्तरण [illegible] अच्छी [illegible] पर क्रेताओं का मनचाहे स्थान पर कब्जा करायेगें जिस कारण [illegible] एवं निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। वादग्रस्त [illegible]भाजन कराये प्रतिवादीगण विक्रय व हस्तान्तरण करने एवं वादीया को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने एवं क्रेताओं का मनचाहे स्थान पर कब्जा कराने एवं निर्माण कर व करवाकर भूमि को कृषि से

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

अकृषि परिवर्तन करने व कराने हेतु आमादा व तत्पर हैं। जिसमें यदि प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादीया को असहाय क्षति होगी।

अतः वादीया का वाद बाबत विभाजन विरूद प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 डिक्री किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम पीलवा, पटवार हल्का चंदवाजी, भू– अभिलेख क्षेत्र चंदवाजी तहसील आमेर जयपुर स्थित खसरा नम्बर 472 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 1.13 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर का कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर वादीया के हिस्से 1/2 की खातेदारी व लगान अलग से निर्धारित, किया जावें। व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 18.02.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बाबजुद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 27.02.2020 को वादी अधिवक्ता ने विवादित आराजीयात की बाई–मिट्स एवं बाउण्डस के आधार पर प्रकरण को प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किये जाने पर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन–तीन प्रतियों में इस न्यायालय को आगामी तारीख पेशी 20.03.2020 से पूर्व भिजवाई जावे। दिनांक 08.01.2021 को तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2020/2445 दिनांक 26.06.2020 को कुर्रेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी। कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। कुर्रेजात का अवलोकन करने पर पाया कि कुर्रेजात रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम अंकित नही है। तथा नवीन पक्षकार के रूप में शिम्भूदयाल पुत्र सरदारमल, रामेशवर पुत्र देवीलाल का नाम अंकित है। दिनांक 15.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हजफ किया गया। दिनांक 24.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में दिनाक 04.07.2023 को बहस कुर्रेजात अन्तिम बहस सुनी गई। दौराने बहस उपस्थित वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत पेश नही की एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तकासमा किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्तागण की बहस एवं कुर्रेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर वादीया का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी विवादित आराजी वाके ग्राम पीलवा, पटवार हल्का चंदवाजी, भू– अभिलेख क्षेत्र चंदवाजी तहसील आमेर जयपुर स्थित खसरा नम्बर 472 रकबा 0.40 हैक्टेयर खसरा नम्बर 473 रकबा 1.13 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि

खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1.	ज्यानकी पत्नि तौफल्या हिस्सा 1/8 जाति मीणा, सा.देह खातेदार	472 473	0.4000 1.1300	बारानी 3 बारानी 3	0.92 2.60
2.	रूपनारायण पुत्र लल्लूलाल हिस्सा 37/765 जाति मीणा, सा.नि. 263/717 प्रताप नगर सेक्टर 26 वार्ड नं 24 सांगानेर खातेदार				
3.	रामेश्वर मीणा पुत्र देवी लाल हिस्सा 1/12 जाति मीणा छरकवाड़ा बगरू गेट नं 3, रजत ग्रह कॉलोनी, बूंदी राजस्थान खातेदार				
4.	शारदा मीना पत्नी मेघचन्द मीणा हिस्सा 869/1224 जाति मीना नि.जी 27				

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

5.	सरस्वती नगर, श्रीराम कॉलोनी, गैटोर रोड तहसील सांगानेर, वार्ड नं 28 खातेदार शिम्भूदयाल पुत्र सरदारमल हिस्सा 1/30 जाति मीणा सा.देह खातेदार				
	कुल किता	02	1.5300		3.52

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	ज्यानकी पत्नि तौफल्या हिस्सा 1912/3162 जाति मीणा, सा.देह खातेदार	473/1	0.3162	बारानी 3	0.73
2.	रूपनारायण पुत्र लल्लूलाल हिस्सा 740/3162 जाति मीणा, सा.नि. 263/717 प्रताप नगर सेक्टर 26 वार्ड नं 24 सांगानेर खातेदार				
3.	शिम्भूदयाल पुत्र सरदारमल हिस्सा 510/3162 जाति मीणा सा.देह खातेदार				
		किता 1	0.3162		0.73
1.	रामेश्वर मीणा पुत्र देवी लाल हिस्सा 1275/12138 जाति मीणा छरकवारा हाउस, गेट नं 3, रजत ग्रह कॉलोनी, बूंदी, राजस्थान खातेदार	472 473	0.4000 0.8138		0.92 1.87
2.	शारदा मीना पत्नी मेघचन्द मीणा हिस्सा 10863/12138 जाति मीना नि.जीनिवासी 27 सरस्वती नगर, श्रीराम कॉलोनी, ग्रैटोर रोड तहसील सांगानेर, वार्ड नं 28 खातेदार				
		कुल किता 2	1.2138	—	2.79

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार आमेर को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरुप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम ...) (फास्ट ट्रैक) आमेर
स... कोर्ट (फास्ट ट्रैक) आमेर,
... जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड़,**

एस संख्या : 27/2019

शारदा देवी पत्नी मेघचन्द मीणा निवासी 27 सरस्वती नगर, श्रीराम कॉलोनी, गैटोर रोड तहसील सांगानेर, जयपुर।

वादी

बनाम

1. हंसराज पुत्र कल्याण
2. महेन्द्र कुमार पुत्र कल्याण
3. ज्यानकी पत्नी तौफल्या

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पीलवा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. रूपनारायण पुत्र लल्लूराम मीणा निवासी 26 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय पुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है । वाके ग्राम पीलवा, पटवार हल्का चंदवाजी, भू-लेख क्षेत्र चंदवाजी तहसील आमेर जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 472 रकबा 0.40 हैक्टेयर सरा नम्बर 473 रकबा 1.13 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर तकासमा हसीलदार आमेर जिला जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के मुताबिक वादी का वाद निम्नानुसार म डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि

ता ख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1.	ज्यानकी पत्नि तौफल्या हिस्सा 1/8 जाति मीणा, सा.देह खातेदार	472 473	0.4000 1.1300	बारानी 3 बारानी 3	0.92 2.60
2.	रूपनारायण पुत्र लल्लूलाल हिस्सा 37/765 जाति मीणा, सा.नि. 263/717 प्रताप नगर सेक्टर 26 वार्ड नं 24 सांगानेर खातेदार				
3.	रामेश्वर मीणा पुत्र देवी लाल हिस्सा 1/12 जाति मीणा छरकवारा हाउस, गेट नं 3, रजत ग्रह कॉलोनी, बूंदी, राजस्थान खातेदार				
4.	शारदा मीना पत्नी मेघचन्द मीणा हिस्सा 869/1224 जाति मीना नि.जीनिवासी 27 सरस्वती नगर, श्रीराम कॉलोनी, गैटोर रोड तहसील सांगानेर, वार्ड नं 28 खातेदार				
5.	शिम्भूदयाल पुत्र सरदारमल हिस्सा 1/30 जाति मीणा सा.देह खातेदार				
	कुल किता	02	1.5[illegible]		3.52

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... ट्रेक) आमेर

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्ठि

खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
ज्यानकी पत्नि तौफल्या हिस्सा 1912/3162 जाति मीणा, सा.देह खातेदार रूपनारायण पुत्र लल्लूलाल हिस्सा 740/3162 जाति मीणा, सा.नि. 263/717 प्रताप नगर सेक्टर 26 वार्ड नं 24 सांगानेर खातेदार शिम्भूदयाल पुत्र सरदारमल हिस्सा 510/3162 जाति मीणा सा.देह खातेदार	473/1	0.3162	बारानी 3	0.73
	किता 1	0.3162		0.73
रामेश्वर मीणा पुत्र देवी लाल हिस्सा 1275/12138 जाति मीणा छरकवारा हाउस, गेट नं 3, रजत, ग्रह कॉलोनी, बूंदी, राजस्थान खातेदार शारदा मीना पत्नी मेघचन्द मीणा हिस्सा 10863/12138 जाति मीना नि.जीनिवासी 27 सरस्वती नगर, श्रीराम कॉलोनी, गैटोर रोड तहसील सांगानेर, , वार्ड नं 28 खातेदार	472 473	0.4000 0.8138		0.92 1.87
	कुल किता 2	1.2138	–	2.79

रोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता गान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

इस मुकदमे के मय शूद बशरह................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.07.2023 को जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा ....) आमेर

	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
य अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
य वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
य वह सबूत			महन्ताना वकील		
ाना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
रिक					
मीजान			मीजान		

इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेन का चाहे किसी के ... दिखाया गया हो हीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:38:59 IST
Reason: SelfAttested